रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 29, 2000/फाल्गुन 10, 1921
No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 29, 2000/PHALGUNA 10, 1921

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2000

सं. एफ. 1(30)-संस्था समन्वय/2000.—वर्ष 1999-2000 का बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने यह पाया कि भारत सरकार के गैर-विकासीय व्यय की उच्च दर लगातार बढ़ रही है और यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है । उन्होंने आगे यह भी पाया है कि इस समस्या का सबसे प्रभावी और अंतिम उपाय सरकार के आकार को घटाने की प्रक्रिया की शुरूआत करना है । इस संबंध में कुछ निश्चित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि आकार में कमी लाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार के प्रशासनिक ढ़ांचे और भूमिका में कमी लाने के लिए किसी प्रसिद्ध और अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक व्यय सुधार आयोग गठित किया जाएगा ।

2. तद्नुसार भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संयोजन के साथ एक व्यय सुधार आयोग का गठन करती है:-

श्री के.पी. गीताकृष्णन, अध्यक्ष
पूर्व वित्त सचिव

श्री वी.एस. जाफा, सदस्य
पूर्व वित्तीय सलाहकार,
रक्षा मंत्रालय

श्री कीर्ति पारेख, सदस्य
अर्थशास्त्री

श्री सी.एम. वासुदेव, पदेन सदस्य
सचिव (व्यय),
वित्त मंत्रालय

श्री जे.एस. माथुर, सदस्य सचिव
अपर सचिव (बजट),
वित्त मंत्रालय

3. अध्यक्ष और सदस्य सचिव पूर्णकालिक सदस्य होंगे, शेष सदस्य अंशकालिक होंगे ।

4. व्यय सुधार आयोग के विचारणीय विषय निम्नवत होगें:-

(1.) सरकार की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध संगठनों तथा राज्य सरकारों की भूमिका के क्रियाकलापों में दोहराव (ओवर लैपिंग) से बचने और समाभिरूपता को प्रोत्साहित करने की आवशयकता के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रकार्यों, क्रियाकलापों और प्रशासनिक ढांचे में कमी लाने के लिए उचित मार्गदर्शन की सलाह देना ।

(2.) आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सब्सिडी के ढांचे की समीक्षा करना, उनके जारी रहने के आर्थिक औचित्य की जांच तथा सब्सिडीज को पारदर्शी बनाने के लिए सिफारिशें एवम न्यूनतम लागत में लक्षित जनसंख्या पर इसके अधिकतम प्रभाव के उपाय की सलाह देना।

(3.) विभागीय और वाणिज्यिक चीजों के उपभोक्ता प्रभार निर्धारण के ढांचे की समीक्षा और उपभोक्ता प्रभार के जरिये लागत वसूली की प्रभावी रणनीति की सलाह देना ।

(4.) केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा संस्थानों के तहत कर्मचारियों की संख्या की पर्याप्तता की समीक्षा और विभिन्न सेवाओं के संवर्ग और स्टाफ

को तर्कसंगत बनाने के उपायों पर सलाह देना । इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पुनिर्नियुक्ति तथा पुनः प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा भी करना है ताकि अधिशेष कर्मचारियों को सरकारी गतिविधियों के नए क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति की जरूरत के मुताबिक पुनर्नियुक्त किया जा सके ।

(5.) सरकारी तौर पर वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थानों के गठन की प्रक्रिया और उनके वित्त पोषण के तौर-तरीकों की समीक्षा करना तथा उनके क्रियाकलापों के लिए बजटीय सहायता में कमी तथा सुधार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की

(6.) सरकार में व्यय प्रबंधन संबंधी अन्य प्रासंगिक मामलों पर विचार करना और उचित सिफारिशें देना ।

5. अपनी रिपोर्ट को जल्द ही अंतिम रूप देने की सुविधा के मद्देनजर आयोग अगर आवश्यक समझे तो सरकारी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अध्ययन दल नियुक्त कर सकता है तथा आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा । अगर जरूरी समझे तो आयोग ऐसी कोई भी सूचना मंगा सकता है या उसे सबूत मान सकता है । भारत सरकार को यह विश्वास है कि राज्य सरकारें आयोग के साथ पूरा सहयोग व सहायता करेंगी । भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आयोग को उसकी जरूरत के मुताबिक सभी तरह की सूचनाएं और दस्तावेज सहायता के तौर पर उपलब्ध कराएंगे ।

6. आयोग एक साल के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगा तथापि आयोग यदि चाहे तो सरकार को त्रैमासिक आधार पर अपनी सिफारिशें भेज सकता है ताकि जब भी ये सिफारिशें प्राप्त हों तो उन पर कार्रवाई की जा सके ।

उषा माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th February, 2000

No. F. 1(30)/E. Coord./2000.— While presenting the Budget for 1999-2000, the Hon'ble Minister for Finance had observed that the high rate of growth of non-developmental expenditure by Government is a growing and critical source of concern. He had further observed that the most effective and lasting solution to this problem is to begin the process of downsizing the Government. While proposing certain initiatives in this regard, he had also indicated that in order to carry out the

process of downsizing in a systematic way towards reducing the role and the administrative structure of the Government an Expenditure Reforms Commission headed by an eminent and experienced person would be constituted.

2. Accordingly, the Government of India hereby set up an Expenditure Reforms Commission with the following composition :-

Shri K.P. Geethakrishanan, Former Finance Secretary	Chairman
Shri V.S. Jafa, Former Financial Adviser, Ministry of Defence	Member
Shri Kirit Parekh, Economist	Member
Shri C.M. Vasudev, Secretary (Expenditure), Ministry of Finance	Ex-officio Member
Shri J.S. Mathur, Additional Secretary (Budget), Ministry of Finance	Member-Secretary

3. The Chairman and the Member-Secretary will be full-time Members. The others will be part-time Members.

4. The terms of reference of the Expenditure Reforms Commission will be as follows :-

(1) Keeping in view the evolving role of Government, the need to foster convergence and avoiding overlap in the functions of different Central Government Ministries, Departments and attached organisations and the role of the State Governments, suggest a road map for reducing the functions, activities and administrative structure of the Central Government;

(2) Review the framework of all subsidies, both explicit and implicit, examine the economic rationale for their continuance and make recommendations for making subsidies transparent and suggest measures for maximising their impact on the target population at minimum cost;

(3) Review the framework for determination of user charges of Departmental and commercial entities and suggest an effective strategy for cost recovery through user charges;

(4) Review the adequacy of staffing under Central Government Ministries, attached offices and institutions and suggest measures for rationalising the staff and cadres of different services. In this context also review the existing

arrangements for re-deployment and re-training of surplus staff to ensure that any additional manpower for new areas of Government activities are met by re-deployment;

(5) Review the procedure for setting up of Government funded autonomous institutions and their pattern of funding and suggest measures for effecting improvement and reducing budgetary support for their activities; and

(6) Consider any other relevant issue concerning expenditure management in Government and make suitable recommendations.

5. The Commission will devise its own procedures and may appoint Study Groups as it may consider necessary for different areas of Governmental activities to facilitate early finalisation of its report. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Government of India trust that the State Governments will extend to the Commission full cooperation and assistance. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Commission.

6. The Commission will submit its final report within a period of one year. However, the Commission may send recommendations to the Government on a quarterly basis so that action can be taken as and when these recommendations are received.

USHA MATHUR, Jt. Secy.

6036/2000-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000.